

उपरोक्त प्रार्थनों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है जो इन दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज				स्वीकृत किया गया इन्द्राज			
क्र. सं.	2	3	4	5	6	7	8
क्र. सं.	द्वारा संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
मेमियामा	21	पूरुषा पुत्र गगवाना अब लक्ष्मी	69 खसरा 4	कुल 4.07	पूरुषोत्तम पुत्र गगवान सिंह अब लक्ष्मी	69 खसरा 4	कुल 4.07

संख्या :- 972

दिनांक :-

उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर प्रभारी
शिविर प्रभारी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)
PGKSA-2021, पं. नं. मौलासर
दिनांक :- 18/11/21

शिविर प्रभारी
शिविर प्रभारी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)
PGKSA-2021, पं. नं. मौलासर
दिनांक :-

को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णय सुचारु रूप से किया जाय।

को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णय सुचारु रूप से किया जाय।

उप तहसीलदार, मौलासर